न्यायालय उपखण्डाधिकारी सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी का नाम :– हवाई सिंह यादव (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 842 / 2019

1 कंवर पाल पुत्र मनीराम जाति जांगिड़ ब्राम्हण सा. सरदारपुरा जीवन तः सादुलशहर जिला श्रीगगानगर

2 इन्द्रादेवी पत्नी कंवरपाल जाति जांगिड़ ब्राम्हण साकिन सरदारपुरा जीवन तः सादुलशहर जिला श्री. गंगानगर

3 राजेन्द्र कुमार वल्द मनीराम जाति जांगिड़ ब्राम्हण सा. सरदारपुरा जीवन तः सादुलशहर जिला श्रीगगानगर

4 राममूर्ति पत्नी राजेन्द्रकुमार जाति जांगिड़ ब्राम्हण साकिन सरदारपुरा जीवन तहसील सादुलशहर जिला श्री गंगानगर

वादीगण

बनाम

1 मनीराम पुत्र शेराराम कोम जांगिड़ ब्राम्हण साकिन सरदारपुरा जीवन तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर

2 राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार सादुलशहर

प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88–53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित विद्वान अधिवक्तागण :–

1 श्री चिमनलाल दुआ अधिवक्ता (वादीगण)

2 श्री त्रिलोकचन्द चायल अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1

3 राजपैरोकार वास्ते स्टेट

निर्णय दिनांक :– 16.12.19

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण ने प्रतिवादीगण के विरूद्व अन्तर्गत 88,53, आर.टी.ए. के तहत इस न्यायालय में इन अभिकथनों के साथ प्रस्तुत किया कि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या– 1 एक ही खान दान के है । चक 1 यू एम डब्ल्यू के खाता संख्या 111/95 मे प प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से 2.530 हैक्टैयर नहरी रकबा दर्ज कागजात पटवार माल है । जो विरासतन प्राप्त है जमाबंदी संलग्न वाद पत्र है । मद संख्या 3 में पारिवारिक बंटवारा दर्शाया गया। वादीगण उपरोक्तानुसार अपने अपने रकबा पर तकरीबन 5 सालो से काबिज चले आ रहे है । राजस्व रिकॉर्ड मे चक 1 यू एम डब्ल्यू का खाता संख्या 111/95 का रकबा उक्त रकबा प्रतिवादी के नाम से दर्ज होने से वादीगण को काफी मुश्किलो का सामना करना पड़ता है वादीगण को बैक लोन लेने तथा अन्य सरकारी सुविधाएं लेने मे काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है । वादीगण ने कई बार प्रतिवादीगण से कहा कि आप हमारे कब्जा काश्त का रकबा हमारे नाम करवान के लिऐ तहसीलदार महोदय के पास अपनी

उपखण्ड अधिकारी
सादुलशहर

Scanned by CamScanner

रजामंदी के ब्यान दे दो ताकि उक्त रकबा हमारे नाम राजस्व रिकॉर्ड मे दर्ज हो सके । परन्तु प्रतिवादी आज कल आज कल करता रहा और आज से 2 रोज पूर्व रकबा वादीगण के नाम करवाने से साफ इंकार हो गया । बस यही विनाय हुआ है । जो वादीगण को प्रतिवादी संख्या 1 के विरूघ हासिल हुआ है । वगैरा-वगैरा।

अतः वाद वादीगण पेश कर निवेदन है कि वादी संख्या 1 कंवरपाल को चक 1 यू एम डब्ल्यू मे खाता संख्या 111/95 मे मु.न. 7 का कि. न.,15,16,25/ 0.759 हैक्टैयर नहरी रकबा का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। वादिया संख्या 2 इन्द्रादेवी को चक 1 यू एम डब्ल्यू मे खाता संख्या 111/95 मु.न. 7 का किला नं. 5,6 / 0.506 हैक्टैयर नहरी रकबा की खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। वादी संख्या 3 राजेन्द्र कुमार को चक 1 यू एम डब्ल्यू मे खाता संख्या 111/95 मु.न. 7 किला नं. 14,17,24/ 0.759 हैक्टैयर नहरी रकबा का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे।वादिया संख्या 4 राममूर्ति को चक 1 यू एम डब्ल्यू मे खाता संख्या 111/95 मु.न. 7 का किला नं. 4,7 / 0.506 हैक्टैयर नहरी रकबा का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे एव वादीगण का खाता अलग से कायम किया जावे।

वाद पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण ने जरिये वकील उपस्थित होकर इकबाल दावा पेश कर वाद वादीगण स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। जवाब स्टेट पेश हुआ राज्यहित को ध्यान में रखते हुये वाद वादीगण में उचित आदेश फरमाये जाने की इस्तदुआ की गयी।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी। दोराने बहस वकील वादीगण ने दावा के तथ्यों को दोहराते हुये वाद वादीगण स्वीकार किये जाने का निवेदन किया, वकील प्रतिवादीगण ने वादीगण के कथनों में अपनी सहमति प्रकट की। पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादीगण एव प्रतिवादीगण एक ही परिवार के सदस्य है एव वादीगण द्वारा सहदायिकी सम्पति में घोषणा की मांग की गयी है जो कि प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा जरिये वकील उपस्थित होकर वादपत्र के समर्थन में इकबाल दावा पेश कर वादीगण की कब्जा काश्त को स्वीकार किया है एव वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 के मध्य वादाधीन आराजी के सम्बध में कोई विवाद नही है। इस प्रकार वादीगण ने अपने वाद पत्र को दस्तावेजी साक्ष्यों, अभिकथनों,इकबाल कथनों व बहस के आधार पर बखूबी साबित किया है। वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाना न्यायोचित है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है तथा तहसीलदार (राजस्व) सादुलशहर को आदेशित किया जाता है कि :– प्रतिवादी संख्या1 के नाम दर्ज चक 1 यू एम डब्लयू खाता संख्या 111/95 मे 2.530 है. आराजी में से वादी संख्या 1 कंवरपाल को चक 1 यू एम डब्ल्यू मे खाता संख्या 111/95 मे मु.न. 7 का कि.न.,15,16,25/ 0.759 हैक्टैयर नहरी रकबा का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं वादिया संख्या 2 इन्द्रादेवी को

उपखण्ड अधिकारी (राज.)
सादुलशहर

Scanned by CamScanner

चक 1 यू एम डब्ल्यू मे खाता संख्या 111/95 मु.न. 7 का किला नं. 5,6 / 0.506 हैक्टैयर नहरी रकबा की खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं वादी संख्या 3 राजेन्द्र कुमार को चक 1 यू एम डब्ल्यू मे खाता संख्या 111/95 मु.न. 7 किला नं. 14,17,24/ 0.759 हैक्टैयर नहरी रकबा का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं वादिया संख्या 4 राममूर्ति को चक 1 यू एम डब्ल्यू मे खाता संख्या 111/95 मु.न. 7 का किला नं. 4,7 / 0.506 हैक्टैयर नहरी रकबा का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एंव इस हद तक प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाता है। उक्तानूसार ही वादीगण का खाता अलग अलग कायम किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में वादीगण के नाम अंकन किया जावे। निर्धारित स्टाम्प डयूटी पेश होने पर उक्तानूसार ही पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैंसल शुमार होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 16.12.19 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

16.12.19

हवाई सिंह यादव (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
सादुलशहर

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Hawai Singh Yadav
Date: 2020.01.14 15:44:21 IST
Reason: SelfAttested
Location: